संख्या-20/2023/932/तेइस-7-2023/001-67सा-2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2023

विषय:- वाद संख्या-5307/2023 मै0 रियाजुल हसन कॉन्ट्रैक्टर बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 16.03.2023 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0-1254/बी.जी./245बी0(01)/2022-23, दिनांक 19.05.2023 एवं पत्र सं0-4587बी0जी0/209बी(22)/2023-24, दिनांक 19.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, वाद संख्या-5307/2023 मै0 रियाजुल हसन कॉन्ट्रैक्टर बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में धनराशि रू0 27,25,000.00 (रूपये सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 27,25,000.00 (रूपये सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य(भारित) के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित आधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या- 20/2023/932(1)/तेइस-7-2023/001-67सा-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, रामपुर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रामपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।